45/A

रजिस्ट्री सं. डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2011/कार्तिक 13, 1933
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2011/KARTIKA 13, 1933

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2011

का.नि.आ. 10(अ).—चूंकि छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष का निर्वाचन (प्रक्रिया) के प्रारूप नियम, 2010 को भारत सरकार के राजपत्र, रक्षा मंत्रालय, का. नि. आ. 12(ई) दिनांक 23 अगस्त 2010 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग– II, खण्ड 4 में छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) की धारा 19 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 31 द्वारा अपेक्षित प्रकाशित किया गया था तथा उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आक्षेप तथा सुझाव माँगे गए थे ;

और, चूंकि उपर्युक्त राजपत्र की प्रतियां छावनी बोर्डों द्वारा 31 अक्तूबर 2010 तक जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं ;

और चूंकि निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त सभी आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया गया है ;

इसलिए अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात् :—

4063 GI/2011

छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष का निर्वाचन (प्रक्रिया) नियम, 2011

भाग– I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष का निर्वाचन (प्रक्रिया), नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित छावनी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड के निर्वाचित सदस्य अभिप्रेत हैं ;

(च) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(छ) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द तथा पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु उनको अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ है, जैसा अधिनियम में है।

3. **अध्यक्ष की शक्ति** – केन्द्रीय सरकार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

भाग— II

बोर्ड के उपाध्यक्ष का निर्वाचन

4. उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विशेष अधिवेशन का आयोजन

(1) उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बोर्ड के कार्यालय में बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा।

(2) उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अध्यक्ष द्वारा निश्चित अधिवेशन की तारीख से कम से कम चार पूरे कार्यदिवस पूर्व मुख्य अधिशासी अधिकारी प्रारूप–I में विशेष अधिवेशन की तारीख तथा समय की सूचना देगा।

5. निर्वाचन की विधि : (1) उपाध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार के प्रस्ताव एक सदस्य द्वारा रखा जाएगा तथा दूसरा सदस्य प्रारूप– II में उसका समर्थन करेगा।

(2) विधिमान्य रूप में प्रस्तावित तथा सदस्य द्वारा समर्थित सभी उम्मीदवारों के नाम अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अधिवेशन में पढ़े जाएंगे।

(3) यदि केवल एक सदस्य विधिवत् रूप से प्रस्तावित तथा समर्थित हो तो कोई निर्वाचन नहीं होगा और उस उम्मीदवार को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(4) यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार हों तो बोर्ड के निर्वाचित सदस्य मतपत्र द्वारा वोट डालेंगे। मतपत्र को अध्यक्ष के निदेशानुसार रखा जाएगा।

(5) अध्यक्ष :—

(क) मतपत्र द्वारा डाले गए कुल वोटों को लिखेंगें।

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की घोषणा करेंगें; तथा

(ग) उस उम्मीदवार की घोषणा करेंगें जिसने सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं तथा उसे निर्वाचित घोषित करेंगें।

(6) दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष सदस्यों तथा उम्मीदवारों की उपस्थिति में उनके नामों का ड्रा करेंगें तथा जिस उम्मीदवार का नाम पहले निकलेगा उसे विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

6. कार्यवाही को लिपिबद्ध करना – चुनाव के परिणाम की घोषणा किए जाने के तुरन्त बाद अध्यक्ष :–

(क) अधिवेशन की कार्यवाही का रिकार्ड तैयार करेंगे तथा प्रत्येक संशुद्धि, यदि कोई हो, पर अपने आधक्षर के साथ उस पर हस्ताक्षर करेंगें।

(ख) प्रारूप– III में बोर्ड के सूचनापट्ट पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन का परिणाम लिखेंगे जिसमें फार्म–III में बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा तथा परिणाम की एक प्रति कमान के जनरल अफसर कमांडिंग–इन–चीफ तथा महानिदेशक को भेजेंगे।

(ग) उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित सदस्य को परिणाम की एक प्रति देंगे।

(घ) प्रारूप– IV में निर्वाचन का प्रमाण–पत्र जारी करेंगे।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए अधिवेशन की कार्यवाही का रिकार्ड अधिवेशन में उपस्थित अधिकतर सदस्यों द्वारा साक्ष्यांकित करवाया जाएगा तथा मुख्य अधिशासी अधिकारी कार्यवाही के उस रिकार्ड पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

प्रारूप–1

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विशेष बैठक की सूचना

[नियम 4(2) देखें]

श्री / श्रीमती / कुमारी.. को सूचित किया जाता है कि तारीख ....को (समय ....) बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बोर्ड का विशेष बैठक बुलाई गई है। यह अनुरोध है कि बैठक में अवश्य भाग लें।

स्थान :

तारीख :

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रारूप – 2

[नियम 5(1) देखें]

नामनिर्देशन – पत्र

भाग I

मैं श्री, ...श्री .... को .... छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

तारीख ....

1. (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

2. (समर्थक के हस्ताक्षर)

भाग II

मैं, ... उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के इस नामनिर्देशन को अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

स्थान : ....

तारीख : ....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

4063 GI/11–2

प्रारूप – 3

[नियम 6(1) (ख) देखें]

उपाध्यक्ष के निर्वाचन का परिणाम

अभ्यर्थी का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1.	
2.	
3.	
4.	
कुल	

श्री/श्रीमती/कुमारी .... को .... छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित अध्यक्ष के हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

प्रपत्र — 4

[नियम 6(घ) देखें]

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

मैं, ... छावनी बोर्ड का अध्यक्ष प्रमाणित करता हूँ कि वर्ष तारीख .... को छावनी बोर्ड के वार्ड संख्या .... से निर्वाचित घोषित सदस्य श्री/श्रीमती/कुमारी .... को सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से छावनी बोर्ड का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और उसके आधार पर मैंने उन्हें निर्वाचन का यह प्रमाण–पत्र दिया है।

अध्यक्ष

स्थान ....

तारीख..

[फा. सं. 14(7)/2009/डी (क्यू एण्ड सी)]

अशोक कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2011

S.R.O. 10(E).— Whereas, draft Election of Vice-President of the Cantonments Board (Procedure) Rules, 2010 were published, as required by section 31 read with sub-section (3) of the section 19 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) in Part-II, section 4 of the Gazette of India, vide notification of the Government of India, Ministry of Defence, S.R.O 12 (E) dated the 23rd August, 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the said Gazette notification are made available to the public;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public by 31st Oct, 2010 by the Cantonment Boards;

And, whereas, all the objections and suggestions received before the date so specified have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 31 read with sub-section (3) of section 19 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

ELECTION OF VICE-PRESIDENT OF THE CANTONMENTS BOARD (PROCEDURE) RULES, 2011

PART-I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Election of Vice-President of the Cantonments Board (Procedure) Rules, 2011.

(2) They shall come in to force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) "Board" means the Cantonment Board constituted under the Act;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Member" means the member elected to the Board;

(e) "President" means the President of the Board; and

(f) "Vice-President" means the Vice-President of the Board;

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have respective meanings as assigned to them in the Act.

3. **Power of President.** – Subject to the general superintendence, direction and control of the Central Government, the President shall be responsible for the conduct of election of the Vice-President.

PART-II

ELECTION OF VICE-PRESIDENT OF THE BOARD

4. **Convening Special Meeting for election of Vice-President.** – (1) A special meeting of the Board shall be convened in the office of the Board for the election of Vice-President.

(2) The Chief Executive Officer shall give notice of the date and time of such special meeting in Form-I at least four clear working days in advance from the date of the meeting fixed by the President for the election of the Vice-President.

5. **Manner of election.**- (1) A candidate for the office of Vice-President shall be proposed by one member and seconded by another member by way of nomination paper in Form-II.

(2) The names of all candidates validly proposed and seconded by the member shall be read out by the President in special meeting of the Board.

(3) If only one candidate is duly proposed and seconded, there shall be no election and such candidate shall be declared elected as Vice-President.

(4) If there are two or more candidates, the elected members of the Board shall then proceed to vote by ballot. The ballot shall be held in such manner as the President may direct.

(5) The President shall,-

(a) record the total number of votes polled by ballot.

(b) announce the number of votes secured by each candidate; and

(c) declare the candidate who secures the highest number of votes and elected.

(6) In the event of equality of votes between two or more candidates, the President shall draw lots in the presence of the members and the candidates and whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.

6. **Record of proceedings. -** (1) Immediately after the declaration of the result of the election, the President shall -

(a) prepare a record of the proceeding of the meeting and sign it with his initials in every correction, if any, made therein;

(b) publish the result of the election of Vice-President on the notice board of the Board in Form-III stating the name of the person elected as Vice-President of the Board in Form-III and send a copy of the result to the General Officer Commanding-in-Chief, the Command and Director General Defence Estates;

(c) give the copy of the result to the candidate who declared elected as Vice-President; and

(d) issue a certificate of election in Form-IV.

(2) The record of proceeding of the meeting prepared by the President under clause (a) of sub-rule (1), shall be attested by a majority of the members who participated in the meeting and the Chief Executive Officer shall countersign on such record of proceedings.

FORM-I

NOTICE OF SPECIAL MEETING FOR ELECTION OF VICE-PRESIDENT

[(See rule 4(2)]

Notice is hereby given to Shri/Smt./Kum.......................................that a special meeting of the Board will be held at (time..............................) on (date)...........................at the office of the Cantonment Board for the election of the Vice-president. It is requested to make it convenient to attend the meeting.

Chief Executive Officer

Place :

Date :

FORM-II

[(See rule 5(1)]

NOMINATION PAPER

PART I

I, Shri ....nominate Shri...for election of the Vice-President of...Cantonment Board.

Date..................

1. (Signature of Proposer)

2. (Signature of Seconder)

PART II

I, ...the candidate for election of the Vice-President here by accept this nomination.

Place :

Date :

(Signature of Candidate).

4063 GI/11—4

FORM-III

[See rule 6 (1) (b)]

RESULT OF ELECTION FOR THE VICE-PRESIDENT

1.	Name of candidate	Number of votes recorded
1.		
2.		
3.		
4.		
Total		

Shri/Smt./Kum...has been declared elected as

Vice president of ....Cantonment Board.

Signature of Chief Executive Officer

Signature of the President with date

Place..

Date..

FORM-IV
[See rule 6 (d)]

CERTIFICATE OF ELECTION

I, President for the..Cantonment Board hereby certify that I have on the ________________ day of ________ 20_____ declared Shri/Smt./Kum.................................. elected member of the Cantonment Board from Ward No.........................to have been duly elected by the members to be Vice President of the..Cantonment Board and that in token thereof I have granted to him/her this Certificate of Election.

President

Place..........................

Date..........................

[F. No. 14(7)/2009/D (Q & C)]

ASHOK KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.